न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 35/2025

प्रार्थी — **बनाम** — विप्रार्थीगण

सुन्दरदेवी पत्नि लालूराम वयस्क जातियान नाई निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. देवीसिंह पुत्र हेमसिंह वयस्क
2. मगसिंह पुत्र हेमसिंह वयस्क
3. हड़मतसिंह पुत्र हेमसिंह वयस्क जातियान राजपूत निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
4. मोहनराम पुत्र रूपाराम वयस्क
5. रतनाराम पुत्र रूपाराम वयस्क जातियान दर्जी निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
6. खीमाराम पुत्र रतनाराम वयस्क
7. लालाराम पुत्र रतनाराम वयस्क
8. सुरेशकुमार पुत्र रतनाराम वयस्क
9. जमनादेवी पत्नि रतनाराम वयस्क
10. गोपाराम पुत्र हरीराम वयस्क
11. जोगाराम पुत्र हरीराम वयस्क
12. नगाराम पुत्र हरीराम वयस्क जातियान नाई निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
13. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:08:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान [illegible] अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की [illegible] नेखमबन्दी ब[illegible]

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 24.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीनी का खेत तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र दाखा के ग्राम दांखा के खेत खसरा संख्या 1805/607 रकबा 3.2117 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र दाखा के ग्राम दांखा के खेत खसरा संख्या 1805/607 रकबा 3.2117 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र दाखा के ग्राम दांखा के खेत खसरा संख्या 1805/607 रकबा 3.2117 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र दाखा के ग्राम दांखा के खेत खसरा संख्या 1805/607 रकबा 3.2117 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र [illegible] ाम दांखा के खेत खसरा संख्या 1805/607 रकबा 3.2117 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीनी की [illegible] ारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:08:34 IST
Reason: SelfAttested

सिणधरी

प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र दाखा के ग्राम दांखा के खेत खसरा संख्या 1805/607 रकबा 3.2117 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:08:34 IST
Reason: SelfAttested